अज

राज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

24/225 सम्पतराज v/s उदयसिंह

पेशी	2024/57 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री मजीत सिंह 21613 श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
15/10/24	सम्पतराज बनाम उदयसिंह वगैरह (2024/57) पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर हनुतिया ब्यावर, बिजयनगर मुख्य रोड मार्ग से अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1358 के कार्नर व खसरा नम्बर 3783/3766, 3784/3766, 3764/1360 में होते हुए कदिम से बैलगाडी, टैक्टर, कृषि उपकरण फसल चारा खाद बीज, इत्यादि लेते रहे है एवं रास्ते के उपयोग में लेते रहे है। यदि रास्ते की भूमि में रेस्पोन्डन्टस द्वारा आवासीय मकान, वाणिज्यक परिसर का निर्माण अथवा भूमि का शक्ल परिवर्तन कर दिया गया तो प्रार्थीगण रास्ते से वंचित हो जायेंगे जिससे प्रार्थीगण अपने खेतो पर कृषि कार्य करने से मेहरूम हो जायेंगे एवं प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अप्रार्थीगण को ग्राम हनुतिया तहसील विजयनगर स्थित भूमि खसरा नम्बर 1358 के कॉर्नर व खसरा नम्बर 3783/3766, 3784/3766, 3764/1360 में अवस्थित रास्ते के उपयोग में ली जा रही भूमि की किस्म एवं शक्ल परिवर्तित करने, कच्चा पक्का निमार्ण कार्य कराने अथवा रास्ते में किसी भी किस्म का अवरोध उत्पन्न करने से ताफैसला अपील पाबंद फरमावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति एवं अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2024 के विरूद्ध उक्त अपील न्यायालय हाजा मे पेश की गई है। जो कि एक अन्तरिम आदेश है अन्तिम आदेश नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रिवीजन /एल/ 9867 /2012 / नागौर उनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम व अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2014 की पालना में अन्तरिम स्थगन आदेश के लिए दिशा निर्देश जारी किये है। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 द्वारा दिनांक 09.02.2023 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 वास्ते शीघ्र सुनवाई पेश किया गया जिसकी पुष्ठ पर अधीनस्थ न्यायालय ने नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये जाकर दिनांक 24.02.2023 तारिख पेशी नियत की गई। तत्पश्चात दिनांक 02.02.2024 को अधीनस्थ न्यायानय द्वारा वकुलाय फरिकेन उपस्थित अंकन करने हुए इन्टरीम टी0आई0 अस्वीकार किये जाने का आदेश दिया जाकर पत्रावली जवाब/बहस हेतु नियत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं फिर भी हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को निर्देशित करना उचित समझते है। अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण उभयपक्ष को जवाब/ सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner